



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229877
CG-DL-E-23092021-229877

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943

No. 533]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2021

सं. 52/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 649(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 362(अ) दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/69/2021-टीओ (टीआरयू- I)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2021

No. 52/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 649(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2016-Customs (ADD) dated the 29th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 362 (E), dated the 29th March, 2016, except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No. CBIC-190354/69/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.